क्रम संख्या–45

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, रविवार, 01 मार्च, 2009 ई0

फाल्गुन 10, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–1

संख्या 437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08

देहरादून, 01 मार्च, 2009

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
4– अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनॉक 01 मार्च, 2009

विषयः उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में नई नजूल नीति 2009 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–726/श0वि0/आ0–03–187(आ0)/01टी0सी0–1,दिनॉकः10 मार्च, 2003 द्वारा व्यवस्था

निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की नजूल नीतियों तथा शासनादेशों में की गयी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–1803/V/आ0–2005–187(आ0)/01टी0सी0–1, दिनांकः 04–8–2005 द्वारा व्यवस्था/नीति निर्धारित की गयी है।

2. नजूल नीति, 2005 निर्गत करने के उपरान्त विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर शासन को अवगत कराया गया कि फ्री–होल्ड नीति में कतिपय व्यवस्थायें स्पष्ट न होने के कारण उत्पन्न हो रही कठिनाईयों एवं शासन द्वारा प्रख्यापित नजूल नीति के अन्तर्गत फ्री–होल्ड की दरें बहुत अधिक होने के कारण जनता द्वारा बहुत कम संख्या में आवेदन किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया है कि विभिन्न जनपदों में निर्धन व्यक्तियों द्वारा नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा उनके द्वारा बहुत ही कम मात्रा में फ्री–होल्ड कराया जा रहा है।

3. अतः उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–726/श0वि0/आ0–03–187(आ0)/01टी0सी0–1, दिनॉकः 10 मार्च, 2003 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–1803/V/आ0–2005–187(आ0)/01टी0सी0–1, दिनांकः 04 अगस्त, 2005 के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार नजूल नीति 2009 प्रख्यापित की जा रही है :–

(1) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में नजूल भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने हेतु कतिपय सुविधाओं सहित एक शासनादेश दिनांक 01–12–1998 को निर्गत किया गया था। पुनः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 3–12–99 एवं 31–12–2000 द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में नजूल भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने हेतु अग्रेत्तर निर्देश दिये गये है। शासनादेश दिनांक 1–12–1998 के अनुसार ऐसे नजूल भू–खण्डधारियों को जिनके द्वारा शासनादेश में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार फ्रीहोल्ड हेतु देय धनराशि का आंकलन कर कुल धनराशि का 25 प्रतिशत जमाकर फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित तिथि अर्थात 30–6–99 तक आवेदन किया गया हो, को दिनांक 30–11–91 के सर्किल रेट के आधार पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी थी।

(2) उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–2268/9–आ0–04/98–704 एन/97 दिनांक 1–12–98 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर फ्रीहोल्ड आवेदनकर्ताओं के प्रकरणों को राज्य गठन की तिथि दिनांक 8–11–2000 तक निर्गत शासनादेशों जिनका समावेश उत्तरांचल राज्य के शासनादेश संख्या–726/श0वि0/आ0–3–187 (आ0)/2001 टी0सी0–1 दिनांक 10–3–2003 में किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जा रहा है।

(3) **उक्त शासनादेश में प्रभावी व्यवस्था के अनुरूप फ्रीहोल्ड हेतु धनराशि का निम्नानुसार निर्धारण होगा –**

(क) ऐसे नजूल भू–खण्डधारी, जिन्होंने उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 1–12–1998 में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत की धनराशि (जैसा कि अग्रिम पैरा 20 में परिभाषित है) ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30–6–99 तक आवेदन कर दिया हो, किन्तु किसी कारणवश फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो चुकी हो, दिनांक 30–11–1991 के सर्किल रेट के आधार पर शासनादेश दिनांक 1–12–98 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करा दी जायेगी।

(ख) ऐसे नजूल भू–खण्डधारी, जिन्होंने उक्त शासनादेश दिनांक 1–12–98 में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार दिनांक 30–6–99 के बाद और दिनांक 8–11–2000 अर्थात राज्य गठन की तिथि तक आवेदन कर दिया हो, किन्तु किसी कारणवश फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी हों, उन्हें पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 1–12–98 एवं शासनादेश दिनांक 3–12–99 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 1–4–94 को सर्किल रेट के आधार पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करा दी जायेगी।

(ग) राज्य गठन के बाद अर्थात दिनांक 9–11–2000 से शासनादेश दिनांक 10–3–2003 की तिथि तक जिन नजूल भूखण्डधारियों द्वारा स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत की धनराशि ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया हो, ऐसे प्रकरणों पर दिनांक 1–4–94 के सर्किल रेट के अनुसार फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) शासनादेश दिनांक 10–3–2003 के निर्गत किये जाने की तिथि के पश्चात तथा नजूल नीति के प्रवृत्त होने की तिथि 04.08.2005 तक जिन पट्टेदारों द्वारा नियमानुसार आवेदन किये गये है, वे राज्य गठन की तिथि अर्थात दिनांक 8–11–2000 को प्रभावी सर्किल रेट पर पट्टों के फ्रीहोल्ड हेतु पात्र होंगे।

(ड़) जिन पट्टेधारको द्वारा नजूल नीति 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांकः 31 जुलाई, 2008 तक स्वमूल्यांकन की धनराशि ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया है और प्रकरण में फ्री–होल्ड हेतु अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया हो, उन्हें यह सुविधा होगी कि वह नजूल नीति, 2005 अथवा नई नीति में से कोई एक के अन्तर्गत आच्छादित होने का विकल्प दे सकेंगे।

(च) जो पट्टेधारक नजूल नीति, 2009 लागू होने के बाद आवेदन करेंगे उनकी पट्टागत भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु तददिनांक को प्रभावी सर्किल रेट लागू होंगे।

(छ) पट्टों की शर्तो का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारकों, जिन्होंने 25 प्रतिशत की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर "क" से "ड़" पर उल्लिखित निर्धारित तिथि तक जमा

कर आवेदन कर दिया हो, के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 1–12–98 के प्रस्तर–2(3) में निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप तथा अवैध/अनधिकृत कब्जाधारियों जिन्होंने 25 प्रतिशत की धनराशि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक जमा कर आवेदन कर दिया हो, के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 1–12–98 के प्रस्तर–7 एवं शासनादेश दिनांक 05–1–2000 तथा 20–1–2000 में उल्लिखित प्रकियाओं एवं उपरोक्त प्रस्तर "क" से "ड़" में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ज) फ्रीहोल्ड की उपरोक्त सुविधा केवल उन्हीं आवेदकों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर आवेदन किया हो और मात्र आवेदन करने वाले आवेदकों, जिन्होंने 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसे आवेदकों को राज्य की नयी नजूल नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा।

(झ) नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेशों तथा उत्तरांचल राज्य द्वारा उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10–3–2003 को उक्त वर्णित प्रयोजन के अतिरिक्त फ्री–होल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति 2009 के प्रावधान लागू होंगे।

4– <u>पात्रताधारक की परिभाषा</u> – शाश्वतकालीन एवं चालू पट्टों की नजूल भूमि तथा पट्टागत भूमि को फ्रीहोल्ड करने हेतु इस नीति में अग्रेत्तर उल्लिखित व्यवस्थाओं/प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित पात्रता की श्रेणी में माने जायेंगे –

(क) पट्टेदार एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी एवं विधिक क्रेता। ऐसे क्रेता जिन्होंने विक्रय विलेख के माध्यम से सम्पत्ति क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया हो, ही पात्र समझे जायेंगे।

(ख) राज्य सरकार के शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा राज्य सरकार के निगम, उपक्रम/प्रतिष्ठान/संस्था आदि।

(ख)(1) राज्य सरकार के विभागों को नजूल भूमि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांकः 15.02.2002 के निर्देशों के क्रम में निःशुल्क आवंटित की जायेगी।

(ग) स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायत (इनके पक्ष में फ्रीहोल्ड नियमानुसार मूल्य निर्धारण के 5 प्रतिशत की धनराशि राज्य कोषागार में जमा करने पर किया जायेगा ।)

(घ) विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों, संस्थानों एवं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभागों एवं केन्द्र सरकार के विभाग।

(च) मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में ही फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में फ्रीहोल्ड की सुविधा किसी भी दशा

में अनुमन्य नहीं करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे क्रेता, जिन्होंने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से स्टाम्प शुल्क देकर पट्टाधारक से भूमि क्रय की हो, को भी प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी, किन्तु ऐसे क्रेताओं को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी छूट आदि की सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि मूल पट्टों की शर्तो का उल्लंघन न हुआ हो।

(छ) अवैध/अनधिकृत अध्यासी (नजूल नीति में वर्णित व्यवस्थाओं के अधीन)।

(ज) ऐसे क्रेता जिन्होंने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि प्राप्त न की हो, बल्कि आपसी संविदा, मुख्तारेआम अथवा पंजीकृत इकरारनामे अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की हो, तो ऐसे प्रकरणों को अवैध मानते हुए, अवैध कब्जाधारी व्यक्तियों पर लागू नीति के अनुसार ही फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(झ) ऐसी पट्टागत भूमि, जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी हो, और जिनमें शासन को पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया हो, को भी फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) (क) ऐसी चालू पट्टों की नजूल भूमि के सम्बन्ध में पट्टाधारक यदि निम्न तालिका में वर्णित निर्धारित दर के आधार पर आंकलित धनराशि जमा कर देता है तो उसे फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने की तिथि से फ्रीहोल्ड होने तक ऐसी भूमि का उपविभाजन एवं छोटे टुकड़े करना स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसी पट्टागत एवं शाश्वत कालीन पट्टों की नजूल भूमि के पात्रताधारकों के पक्ष में फ्रीहोल्ड मूल्यांकन की गणना प्रभावी सर्किल रेट के निम्न दरों पर की जायेगी–

भूमि का क्षेत्रफल	ऐसे पट्टाधारकों जिन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है, उनके द्वारा निर्धारित कट आफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन लागू होगा।	ऐसे पट्टाधारकों जिन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उनके द्वारा निर्धारित कट आफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन लागू होगा।
	नजूल नीति 2009 के अनुसार प्रचलित प्रतिशत	नजूल नीति 2009 के अनुसार प्रचलित प्रतिशत
50 वर्गमी0 तक	15	30
51 से 100वर्गमीटर तक	20	40
101 से 200वर्गमीटर तक	40	65
201 से 500वर्गमीटर तक	50	80
500 वर्गमीटर से ऊपर	80	130

परन्तु ऐसे पट्टाधारकों जिनके द्वारा प्राधिकरण/नगर निकाय/जिलाधिकारी कार्यालय में समय से पट्टे के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पर निर्णय नहीं हुआ है, को "पट्टा नवीनीकृत नहीं है" का आधार बनाकर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

(ग) डिमाण्ड नोट जारी होने के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने वाले फ्रीहोल्ड आवेदकों को 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(घ) नजूल भूमि पर निर्धन व्यक्तियों की आवासीय कब्जे की भूमि को विनियमित किये जाने हेतु गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के 100 वर्ग मीटर तक के भू–खण्डों को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु 5 वर्षीय 5 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित छमाही किश्तों पर भुगतान की सुविधा भी दे दी जायेगी। यदि समयान्तर्गत निर्धारित तिथियों पर धनराशि जमा कर फ्रीहोल्ड की कार्यवाही उपरोक्तानुसार नहीं करायी जायेगी तो यह सुविधा समाप्त मानी जायेगी परन्तु रू0 22,000/–(रूपये बाइस हजार मात्र) तक की वार्षिक आय वाले निर्धन पट्टेदारों को 50 वर्गमीटर तक के केवल आवासीय भूखण्डों को निःशुल्क फ्री–होल्ड की सुविधा भी दे दी जायेगी।"

(6)1– फ्रीहोल्ड के ऐसे प्रकरणों जो कि बहुमंजिले भवनों/दुकानों से सम्बन्धित हो, और ऐसी बहुमंजिली इमारतों में विभिन्न मंजिलों पर कमशः दो मंजिले, तीन मंजिले एवं चार मंजिले किन्तु अलग–अलग स्वामित्व वाले पटटेदारों, उनके विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक केता के पक्ष में नियमानुसार सकल मूल्यांकन का विभाजन निम्न प्रकार से करते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगीः–

(क) दो मंजिले भवन के भूतल का 60 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 40 प्रतिशत।

(ख) तीन मंजिले भवन के भूतल का 40 प्रतिशत, प्रथम तल का 30 प्रतिशत तथा तृतीय तल का 30 प्रतिशत।

(ग) चार मंजिले भवनों के भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तृतीय तल का कमशः 40, 20, 15 तथा 25 प्रतिशत।

(घ) चार या इससे अधिक मंजिल के भवनों के प्रकरणों के निष्पादन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेगे। ऐसे प्रकरणों पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(च) व्यावसायिक प्रयोग हेतु प्रत्येक मंजिल एवं भूतल के सम्बन्ध में उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। इस व्यवस्था के निर्धारण में नगर निगम के भवन करों से सम्बन्धित अभिलेखों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

(6)1.1 बहुमंजिले भवनों/दुकानों में भू–गेह तल होने पर निम्नानुसार सकल मूल्यांकन का विभाजन किया जायेगाः–

(क) एक मंजिले भवन के भूगेह तल का 40 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 60%

(ख) दो मंजिले भवन के भूगेह तल का 15 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 50 प्रतिशत तथा द्वितीय तल का 35 प्रतिशत।

(ग) तीन मंजिले भवनों के भूगेह तल का 20 प्रतिशत, प्रथम तल का 35 प्रतिशत, द्वितीय तल का 25 प्रतिशत तथा तृतीय तल का 20 प्रतिशत।

(घ) चार मंजिले भवनों के भूगेह तल का 15 प्रतिशत, प्रथम तल का 30 प्रतिशत, द्वितीय तल का 20 प्रतिशत, तृतीय तल का 15 प्रतिशत तथा चतुर्थ तल का 20 प्रतिशत।

(च) चार या इससे अधिक मंजिल के भवनों के प्रकरणों के निष्पादन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेगे। ऐसे प्रकरणों पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) व्यावसायिक प्रयोग हेतु प्रत्येक मंजिल एवं भूतल के सम्बन्ध में उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। इस व्यवस्था के निर्धारण में नगर निगम के भवन करों से सम्बन्धित अभिलेखों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

(6)2– बहुमंजिली इमारतों के सम्बन्ध में भूमि पर स्वत्व विभिन्न फ्लैट्स के फ्रीहोल्ड के मूल्यांकन के अनुपात में होगा। समस्त फ्रीहोल्डर के पक्ष में सड़क से लगी भूमि का स्वत्व आनुपातिक रूप से निर्धारित होगा ।

(6)3– उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करते समय भूखण्डों की माप उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की जायेगी।

(7) क – ऐसी नजूल भूमि/भूमि पर स्थित भवन जो महायोजना में सार्वजनिक स्थलों, पार्को, सड़कों की पटरियों,वाइडनिंग, जल निकासी, सार्वजनिक सीवर व्यवस्था आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रदर्शित हो, को जो महायोजना में सार्वजनिक उपयोग में आने की सीमा तक इस भूमि का पूर्ण या ऑशिक भाग हो सकता है, फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा।

ख– ऐसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन, जो प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के समीपस्थ स्थित हो, और जिनकी सार्वजनिक उपयोग हेतु वर्तमान में आवश्यकता है, अथवा भविष्य में आवश्यकता हो सकती हो, ऐसे अवैध/अनधिकृत कब्जों, पट्टों की शर्तो का उल्लंघन करने वाले कब्जों, पट्टे की अवधि पूर्ण होने वाले पट्टों के उस भाग को जो महायोजना में चिन्हित कर दिया गया है किसी भी स्थिति में फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा।

ग– उपरोक्त प्रस्तर (7)(क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रकृति की ऐसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन, जो वैध पटटेदारों के पास है, को पट्टा अवधि समाप्त होने के पूर्व ही शासन में निहित कर दिया जायेगा और पट्टेदार के पक्ष में किसी भी दशा में फ्रीहोल्ड या नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

घ– यदि किसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन को पट्टेदार फ्रीहोल्ड न कराना चाहता हो तो उसे सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अथवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने की कार्यवाही की जायेगी, यदि उक्त भूमि/भूमि पर स्थित भवन को उपरोक्त प्राधिकरण अथवा निकाय फ्रीहोल्ड न कराना चाहेंगे तो एसे भूमि/भूमि पर स्थित भवन की फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जायेगी।

च– उपरोक्त प्रस्तर (7)(क) से (ग) में उल्लिखित भूमि/भूमि पर स्थित भवन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

छ– ऐसी नजूल भूमि जो निर्बाध रूप में रिक्त पड़ी है और जिसका अभी तक कोई पट्टा नहीं है, के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रत्येक नगर में इस प्रकार की रिक्त भूमि को आवश्यकतानुसार शासन द्वारा अवशेष भूमि के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर आरक्षित मूल्य निर्धारित करके नीलामी/निविदा की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी –

	भूखण्ड का क्षेत्रफल (एकड़ में)	आरक्षित मूल्य का प्रतिशत (निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार)
1.	0 से 0.50 तक	100
2.	0.50 से अधिक व 0.75 तक परन्तु 0.50 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	95
3.	0.75 से अधिक व 1.00 तक परन्तु 0.75 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	90
4.	1.00 से अधिक व 1.50 तक परन्तु 1.00 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	85
5.	1.50 से अधिक व 2.50 तक परन्तु 1.50 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	80
6.	2.00 से अधिक व 5.00 तक परन्तु 2.00 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	75
7.	5.00 से अधिक	70

किन्तु–

(क) भूमि का निस्तारण महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के अनुरूप किया जायेगा।

(ख) एक लाख से कम मूल्य की भूमि का निस्तारण नीलामी के माध्यम से तथा एक लाख से अधिक मूल्य की भूमि के लिए सील्ड निविदा सह नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

(ग) व्यावसायिक उपयोग के लिये आरक्षित मूल्य उपरोक्त का दुगुना होगा।

(घ) नीलामी/निविदा की उच्चतम बोली प्रचलित आरक्षित मूल्य से कम होने पर समुचित कारणों सहित प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे।

8– विद्यालय, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, सार्वजनिक उपयोग एवं धार्मिक स्थलों, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि को पट्टे पर दी गयी नजूल भूमि को पट्टे की शर्तो के अनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

9— क— जहॉ मास्टर प्लान लागू है, वहॉ फ्रीहोल्ड अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही (जैसे भी इस नीति के अन्तर्गत स्थिति बनती हो) केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जायेगी।

ख— जहॉ विनियमित क्षेत्र है और भूउपयोग परिभाषित है, वहॉ विनियमत क्षेत्र के नियमों एवं तदनुसार परिभाषित भू उपयोग के अनुसार भू उपयोग शुल्क लिया जायेगा।

ग— जहॉ पर न तो मास्टर प्लान के प्रावधान लागू होते हैं, और न ही वह विनियमित क्षेत्र ही परिभाषित है, वहॉ पर वास्तविक भू उपयोग के अनुसार मूल्यांकन लेकर फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

10— ऐसी नजूल भूमि जिसकी राज्य सरकार को आवश्यकता हो, पट्टेदार अथवा अन्य किसी के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी भूमि का निर्णय प्रस्तर–7च के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण को यदि किसी भूमि की सार्वजनिक उपयोग हेतु आवश्यकता हो तो उक्त भूमि पर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा। जिलाधिकारी के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

11— पट्टागत सम्पूर्ण भू–भाग को ही फ्रीहोल्ड किया जायेगा, इसके अंश भाग को नहीं। यदि अंश भाग पर अलग–अलग पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारी, विधिक क्रेता, अवैध/अनधिकृत अध्यासी काबिज हों तो उनके पक्ष में निर्धारित नीति के अनुसार ही फ्रीहोल्ड की कार्यवाही अनुमन्य होगी।

12— स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों, निगमों, उपक्रमों/प्रतिष्ठानों के लिये पट्टागत भूमि तथा कब्जे की नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराया जाना आवश्यक होगा।

13— सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे पार्क, सड़क आदि को फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा। इनका प्रबन्धन पूर्व की व्यवस्था की भॉति चलता रहेगा तथा इस प्रकार की भूमि पर अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जायेगा।

14— पट्टागत ऐसी भूमि जिसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी हो अथवा शर्तो के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार को पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया हो, के फ्रीहोल्ड हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है, तो उसे भी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

15– विवादित सम्पत्तियों एवं भूखण्डों अर्थात जिनमें विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित हो, को वाद के अन्तिम निस्तारण तक फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा।

16– अनधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु दण्डात्मक परिवर्तन शुल्क (Conversion Charges) का निर्धारण किया जायेगा। इसके लिये परिवर्तन शुल्क (Conversion Charges) प्रचलित सर्किल रेट का दोगुना होगा तथा अनधिकृत कब्जे की कट आफ डेट 8–11–2000 होगी। उपरोक्त तिथि के बाद हुए किसी भी अनधिकृत कब्जे का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा।

17– (क) अवैध कब्जे की ऐसी नजूल भूमि, जिस पर दिनांक 8–11–2000 के पूर्व से अवैध/अनधिकृत कब्जा हो, तो 100 वर्गमीटर से कम की भूमि की स्थिति में आवासीय उपयोग हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 100 प्रतिशत व व्यवसायिक मामलों में सर्किल रेट का 125 प्रतिशत मूल्य लिया जायेगा तथा 100वर्गमीटर से अधिक की स्थिति में आवासीय हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 125 प्रतिशत तथा व्यवसायिक मामलों में अद्यतन सर्किल रेट का 150 प्रतिशत पर मूल्य लेकर फ्रीहोल्ड के रूप में अतिचारी के पक्ष में विनियमित किया जायेगा।

(ख) उक्त अवैध कब्जे के प्रमाण स्वरूप उस भू–खण्ड/भवन से सम्बन्धित टेलीफोन बिल, विद्युत बिल, हाउस टैक्स की रसीद, मतदाता सूची, राशनकार्ड आदि में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फ्रीहोल्डकर्ता अधिकारी के पूर्ण संतुष्टि के पश्चात फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) ऐसे प्रकरण जिनमें अनधिकृत कब्जेधारी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि क्रय कर ली गयी हो, तो ऐसे क्रेताओं के पक्ष में उन्हें अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जा सकती है लेकिन उन्हें उसी भूमि का दोबारा मूल्य देना होगा। दोबारा मूल्य देते समय पूर्व में अदा की गयी स्टाम्प डयूटी की धनराशि को भूमि के मूल्य से घटा दिया जायेगा। उनके पक्ष में फ्रीहोल्ड करते समय इस हेतु पंजीकृत बैनामे द्वारा भूमि क्रय करने की कट आफ डेट 8–11–2000 तक रखी जाती है।

(घ) ऐसी भूमि, जिसका कई बार विक्रय/हस्तान्तरण होने के बाद अन्तिम क्रेता द्वारा फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन करने की स्थिति में पट्टेदार द्वारा प्रथम हस्तान्तरण से अन्तिम हस्तान्तरण/विक्रय तक के "लिंक" स्थापित करने के लिये सभी हस्तान्तरण/विक्रय अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा, किन्तु ऐसा न कर पाने की स्थिति में फ्रीहोल्ड हेतु आवेदित भूमि की वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए

प्रस्तावित कार्यवाही को समाचार–पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्तियों की आपत्तियॉ आमंत्रित की जायेंगी, जो अपने को उस भूमि का पट्टेदार मानते हों, अथवा उसके अधिकार रखने का दावा रखते हों। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर गुण व अवगुण के आधार पर उसके दावे पर निर्णय करते हुए फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा, अन्यथा अन्तिम क्रेता के भूखण्ड पर कब्जे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्रीहोल्ड पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अन्य प्रस्तरों का लाभ यदि अनुमन्य होता है तो अनुमन्य कराया जायेगा।

18– **आवेदन पत्र देने की प्रकिया**–फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (संलग्नक–1 के अनुसार) के साथ भूमि मूल्यांकन धनराशि का 25 प्रतिशत निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिस तिथि को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा, वही तिथि आवेदन पत्र देने की तिथि मानी जायेगी।

आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्वतः अपने पूर्वाधिकारी एवं उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त नजूल भूमि एवं फ्री–होल्ड की भूमि का विस्तृत ब्यौरा भी आवेदन पत्र के साथ देगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। गलत सूचना दिया जाना आवेदन पत्र या फ्री–होल्ड आदेश को निरस्त करने का आधार होगा।

19– **स्वमूल्यांकन मूल्य की गणना निम्न प्रकियानुसार की जायेगी** –

भूखण्ड के निर्धारित कट आफ डेट का सर्किल रेट X भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल X फ्रीहोल्ड के लिये प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु निर्धारित दर

20– निम्नलिखित भू–उपयोगों हेतु उनके सम्मुख अंकित दरों पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी –

आवासीय –

	दर
क) एकल आवासीय / एक मंजिल इमारत	प्रस्तर–5 की तालिका में उल्लिखित धनराशि के अनुसार
ख) ग्रुप हाउसिंग / बहुमंजिली इमारत	प्रस्तर–5 की तालिका में उल्लिखित धनराशि का दुगुना

21– स्टैम्प डयूटी का निर्धारण/आंकलन फ्री–होल्ड के आंकलित मूल्य पर किया जायेगा। जो किसी भी दशा में सर्किल रेट से कम नहीं होगा।

22— नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की यह योजना, ऐसे पट्टाधारकों के लिये जिनके पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, स्वैच्छिक है, किन्तु यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, अथवा पट्टे की कि शर्त का उल्लंघन किया गया है तो पट्टागत भूमि को फ्री–होल्ड कराना अनिवार्य होगा अन्यथा इस भूमि पर शासन को पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त होने के कारण बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

23— फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही रू0 100 स्टाम्प पेपर पर इनडेमनिटी (INDEMNITY) बांड लेकर की जायेगी।

24— इस नीति के तहत किसी भी बकाये की धनराशि को भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल किया जायेगा।

25— यदि कोई व्यक्ति जिसने फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन कर 25 प्रतिशत की धनराशि जमा की है, और नीति के सुसंगत नियमों के अधीन आंकलित बकाया धनराशि जमा नहीं करता, तो उसके विरूद्ध बकाया धनराशि का उल्लेख करते हुए डिमाण्ड नोटिस जारी की जायेगी।

26— यदि डिमाण्ड नोटिस की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं की जाती है तो 15 दिन का एक और नोटिस देकर धनराशि जमा करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके बाद ही धनराशि जमा न करने पर स्वमूल्यांकन की जमा समस्त धनराशि को शासन के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा और पुनः आवेदन करने पर वर्तमान सर्किल रेट पर मूल्यांकन की गणना की जायेगी।

27— यह योजना नजूल नीति, 2009 के लागू होने के एक वर्ष तक लागू रहेगी।

28— इस प्रकार फ्रीहोल्ड की कार्यवाही नियमानुसार निष्पादित हो जाने के उपरांत भू–स्वामियों को ऐसी भूमियों पर संक्रमणीय भूमिधर के सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

29— इस नजूल नीति पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–32605/91 सत्यनारायण कपूर बनाम राज्य सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 15–10–97 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–1557–59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय लागू होंगे।

30— यदि इस नीति के किसी उपबंध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो; उसे शासन को विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा शासन का इन सभी प्रकरणों में विनिश्चय अन्तिम होगा। नजूल भूमि फ्रीहोल्ड किये जाने से सम्बन्धित समस्त धनराशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

31— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी नीति एवं प्राविधानों को तात्कालिक प्रभाव से लागू करते हुए कार्यवाही की जाये तथा नीति का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाये, जिससे इसमें निहित प्रावधान सम्बन्धित पक्ष भलीभांति समझकर इसका लाभ उठा सकें।

32— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1336 (ऋ)/xxvii(2)/2009. दिनांक 27 फरवरी, 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे है

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 आ0 श0 वि0/125—3—3—2009—100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या 761 /V-2011-01(एन0एल0)/2008 टी0सी

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4 अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2011.

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-437/V-आ0-2009-01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01-03-2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है एवं जिसकी अवधि शासनादेश संख्या-151/V-आ0-2009-01(एन0एल0)/08 दिनांक 06-04-2011 द्वारा दिनांक 31-3-2012 तक बढ़ायी गयी है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-437/V-आ0-2009-01(एन0एल0)/08 दिनांक 01-3-2009 द्वारा निर्गत नजूल नीति के प्रस्तर 3(3)(च) के आधार पर नजूल भूमि को जिन्होंने अभी तक फ्रीहोल्ड नहीं कराया है वह दिनांक 09-11-2000 को भूमि की प्रचलित सर्किल दरों पर फ्रीहोल्ड के लिये आवेदन दिनांक 31.3.2012 तक कर सकेंगे, तथा जिनके द्वारा पूर्व में आंशिक धनराशि जमा की गई है वह दिनांक 9.11.2000 को भूमि की प्रचलित सर्किल दरों पर फ्रीहोल्ड करा सकेंगे एवं उन्हें जमा की गयी राशि छोड़कर शेष राशि जमा करनी होगी।

2 उक्त वर्णित शिथिलता के अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति 2009 के प्रांविधान यथावत् लागू होगें।

C 1983 /V-2011-01(एन0एल0)/2

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4 अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2011.

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01–03–2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है एवं जिसकी अवधि शासनादेश संख्या–151/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनांक 06–04–2011 द्वारा दिनांक 31–3–2012 तक बढ़ायी गयी है, एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या–761/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनाँक 29–11–2011 निर्गत किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

(1) शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01–3–2009 द्वारा निर्गत नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 3(3)(च) में उल्लिखित व्यवस्था में संशोधन करते हुये "पट्टेधारक" के स्थान पर "आवेदक" तथा "पट्टागत भूमि" के स्थान पर "कब्जे की भूमि" शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(2) उक्त शासनादेश के प्रस्तर 16 एवं 17 में अंकित अवैध कब्जे की **कट आफ डेट** 08–11–2000 के स्थान पर **दिनाँक 09–11–2011** प्रतिस्थापित की जाती है।

2 उक्त वर्णित संशोधन के अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति 2009 एवं शासनादेश संख्या–761/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनाँक 29–11–2011 के प्राविधान यथावत् लागू होगें।

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\September-letters-2011.doc

(20)

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 020 /V-2012-01(एन0एल0)/08टी0सी0

जारी
18/12/12

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01–03–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2— उपरोक्त के कम में शासनादेश संख्या–151/V–आ0–2011–01(एन0एल0)/08 दिनांक 06–04–2011 एवं शासनादेश संख्या–224/V–आ0–2012–01(एन0एल0)/08 दिनांक 31–03–2012 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि कमशः दिनांक 31 मार्च, 2012 एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3— उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–224/V–आ0–2012–01(एन0एल0)/08 दिनांक 31–03–2012 में संशोधन करते हुए निगत नजूल नीति लागू रहने की अवधि को दिनांक 31–03–2013 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4— उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–3–2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

5— कृपया नजूल नीति भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–3–2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

संख्या 628 /V-2013-01(एन0एल0)/08टी

जारी 3/10/2013

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—1

देहरादून: दिनांक 03 अक्टूबर, 2013

विषय: नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—507/V—आ0—2009—01 (एन0एल0)/08 दिनॉक 04—09—2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति की अवधि दिनांक 30.09.2013 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2— उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि को दिनांक **31—03—2014** तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4— उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01—3—2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

5— कृपया नजूल नीति के अन्तर्गत भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01—3—2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

(22)

संख्या 273/V-2013-01(एन0एल0)/08टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

जारी / श्री डोभाल
01/7/2014

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—1

देहरादून: दिनांक 01 जुलाई 2014

विषय: नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—628/V—2013—01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 03.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति की अवधि दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2— उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल नीति लागू रहने की अवधि को दिनांक 31.03.2014 से अग्रिम एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

कृपया नजूल नीति के अन्तर्गत भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

D:\promila kotari\letter2013

(23)

संख्या–407/आ0–2015–01(एन0एल0)/08टी0सी0

प्रेषक,

डी0 एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 07 जुलाई, 2015

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–273/V–2013–01(एन0एल0)/08टी0सी0 दिनांक 01 जुलाई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति की अवधि दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2 उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल नीति लागू रहने की अवधि को दिनांक 31.03.2015 से अग्रिम 06 माह तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

कृपया नजूल नीति के अन्तर्गत भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 एस0 गर्ब्याल)
सचिव,